The Dialogue™
INFORM ENGAGE IDEATE

व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2019 की सार

अधिकार-आधारित विचार

1. परिचय

भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 ("पीडीपी 2019") अधिनियमन के कगार पर है क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने 2021 के शीतकालीन सत्र (अब डेटा संरक्षण विधेयक, 2021) में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस विधेयक को लागू करने का घटनाक्रम 24 अगस्त 2017 से शुरू होता है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ पर अपना फैसला सुनाया था। न्यायालय ने भारत सरकार को नागरिकों की सूचनात्मक निजता की रक्षा के लिए देश के लिए एक मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था लाने का भी निर्देश दिया।

यह विधेयक सहमति-आधारित दृष्टिकोण को निजता का पूरक समझता है और डेटा प्रधानों के हाथों में कुछ अधिकार निहित करता है। विधेयक एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है, जो अपनी अन्य भूमिकाओं के साथ, एक निर्णायक की भूमिका निभाते हुए, निजता मामलों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए, एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करके, डेटा प्रधानों के हितों की रक्षा करेगा।

जैसे-जैसे भारत एक विशिष्ट डेटा सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने की ओर अग्रसर हो रहा है, विधेयक के कुछ अधिकार-आधारित विचारों पर गौर करना, और अनपेक्षित परिणामों से बचाव करना, एक व्यापक व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक है।

इस लेख में चर्चा किए गए अधिकार-आधारित विचारों के तहत कुछ प्रासंगिक तत्व हैं: विधेयक द्वारा लिया गया सहमति-आधारित दृष्टिकोण, नागरिको के अधिकार, और विधेयक द्वारा प्रदान किया गया शिकायत निवारण तंत्र।

2. प्रमुख प्रावधान और हमारी सिफारिशें

2.1. सहमति आधारित दृष्टिकोण

विधेयक में कहा गया है कि व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण, केवल उल्लिखित आधारों पर, प्रसंस्करण के प्रारंभ में डेटा प्रधानों से सहमति प्राप्त करने के बाद ही, किया जा सकेगा। विधेयक डेटा प्रधान की सहमति के बिना, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण हेतु, डेटा प्रत्ययी के लिए, उचित उद्देश्य (प्राधिकरण द्वारा निर्धारित) भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, विधेयक डेटा प्रत्ययियों पर प्रमाण-भार डालता है कि डेटा प्रधानों ने उनकी सहमति दी है, और बिना किसी वैध कारण के सहमति वापस लेने की कानूनी जवाबदेही डेटा प्रधानों पर डालता है।

साथ ही, डेटा प्रधानों को अपनी सहमति के प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, विधेयक एक नई श्रेणी के व्यवसाय को पेश करता है, जिसे सहमति प्रबंधक कहा गया है, जिसे प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाएगा। इसे ऐसी तकनीकी, परिचालन, वित्तीय और अन्य शर्तों के अधीन कार्य करना होगा, जैसा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

इन प्रावधानों से पता चलता है कि सहमति वह आधार है जिस पर विधेयक का निर्माण किया गया है। लेकिन द डायलॉग में, हम मानते हैं की विधेयक सहमति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर करता है, बावजूद इसके की डेटा प्रसंस्करण के लिए वैधता प्राप्त करने के साधन के रूप में सहमति की आलोचना की जा चुकी है।

प्रसंस्करण के लिए अन्य आधारों के बिना, हमे लगता है की यह मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

मांग-पक्ष के मुद्दे:
सहमति की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को असंख्य निजता नोटिस प्राप्त हो सकते हैं, जिससे उन्हें क्लांति हो सकती है; न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा समिति की रिपोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर विचार किया गया और स्वीकार किया गया था। लेकिन विधेयक निजता नोटिस में अधिक जानकारी जोड़ने के कारण, सहमति की क्लांति को बढ़ाता है।

इसके अलावा, यह बताया गया है कि डेटा प्रत्ययी डेटा प्रधानों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीमित तर्कसंगतता के साथ खेलकर सहमति प्राप्त करने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग करते हैं। डार्क पैटर्न के उपयोग की उत्पत्ति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या इसे डेटा प्रत्ययी या सहमति प्रबंधक द्वारा या सहमति में दोनों द्वारा स्थापित किया गया था।

साथ ही, तकनीकी समस्याओं के लिए सहमति प्रबंधक के रूप में एक तकनीकी समाधान प्रदान करना (यानी, डेटा प्रसंस्करण या डेटा साझाकरण को वैध बनाने के लिए सहमति / प्रबंधित करना) बोझिल है क्योंकि कुछ डेटा प्रधानों में पहले से ही तकनीकी प्रक्रियाओं की जागरूकता और पहुंच की कमी है।

आपूर्ति-पक्ष के मुद्दे:
विधेयक गैर-सहमति डेटा प्रसंस्करण के लिए उचित उद्देश्यों को निर्धारित करने से पहले विचार किए जाने वाले कारकों को सूचीबद्ध करता है, इसमें "अनुबंध के अनुसार प्रसंस्करण" और "डेटा प्रत्ययी द्वारा निर्धारित अन्य उचित उद्देश्य" नहीं हैं। जिसका अर्थ है डेटा प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त वैध व्यावसायिक कारण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएंगे।

यह डेटा प्रसंस्करण तंत्र को जटिल, कम चुस्त बनाता है और डेटा प्रत्ययी और प्राधिकरण दोनों के लिए परिचालन बोझ को बढ़ाता है, और बदले में, नवाचारों को धीमा कर सकता है।

हमारी सिफारिशें

विधेयक में सहमति प्राप्त करने के बेहतर साधन और तरीके होने चाहिए, जो समावेशी, कम थकाऊ, और कुशल हो। हम अनुशंसा करते हैं कि, विधेयक को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए ऐसे उद्देश्यों के बजाय, उल्लिखित कारकों के आधार पर, डेटा प्रत्ययी को यह निर्धारित करने की अनुमति देनी चाहिए कि उचित उद्देश्य क्या हैं।

2.2. डेटा प्रधान के अधिकार

विधेयक डेटा प्रधानों के हाथों में कुछ अधिकारों को निहित करता है और प्राधिकरण को विधेयक में विभिन्न प्रावधानों के तहत विनियमन के माध्यम से इसकी रक्षा करने का आदेश देता है। नीचे दी गयी आकृति विधेयक के तहत प्रदान किए गए डेटा प्रधान के अधिकारों को दर्शाती है।

विधेयक यह प्रावधान करता है कि डेटा प्रधान अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है (भूल जाने के अधिकार को छोड़कर, जिसके लिए उसे न्यायनिर्णायिक अधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है) सीधे डेटा प्रत्ययी तक पहुंचकर या सहमति प्रबंधकों के माध्यम से।

डेटा प्रत्ययी को अनुरोध का पालन करना चाहिए, मामूली शुल्क पर आवश्यक कार्य करना चाहिए, और इनकार के मामले में डेटा प्रधान को लिखित इनकार प्रदान करना चाहिए। डेटा प्रधान को निर्दिष्ट अवधि के भीतर इनकार के खिलाफ प्राधिकरण के साथ शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है।

विधेयक के तहत, किसी भी डेटा प्रधान, जिसे विधेयक के तहत किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण नुकसान हुआ है, को डेटा प्रत्ययी से मुआवजे की मांग करने का अधिकार है, जैसा भी मामला हो। इससे पता चलता है कि विधेयक कार्रवाई का एक निजी अधिकार प्रदान करता है, जो विभिन्न मुद्दों को पैदा करता है।

कार्रवाई के निजी अधिकारों के मुद्दे: कार्रवाई के निजी अधिकार से कानूनों के तहत कार्यान्वयन बोझिल होगा, शिकायतकर्ताओं की संख्या या आवक पर कोई व्यावहारिक सीमा नहीं होगी। इसके अलावा, प्रावधान की विसंगतियां, न्यायनिर्णायक अधिकारी के हाथों में व्यापक विवेकाधीन शक्तियों का कारण बनेंगी।

साथ ही, ऐसी व्यवस्थाएं जो कार्रवाई के निजी अधिकार प्रदान करती हैं, वादियों को उन प्रतिवादियों को रणनीतिक रूप से लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिन्हें जाना जाता है या माना जाता है कि वे करदानक्षम हैं। विधेयक के संदर्भ में, इसका मतलब है कि शिकायतकर्ता “मोटी जेब” वाली संस्थाओ को लक्षित कर सकते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा प्रत्ययी जैसे क्लाउड सेवा प्रदाता और दूरसंचार सेवा प्रदाता शामिल हैं। इसके अलावा, सहमति प्रबंधकों को विधेयक के तहत उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है।

हमारी सिफारिशें

डेटा प्रधानों की व्यक्तिगत रूप से या एक वर्ग के रूप में डेटा प्रत्ययियों से मुआवजे का दावा करने की क्षमता को हटा दिया जाना चाहिए।
विधेयक के तहत दावों पर मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण को एकमात्र अधिकार होना चाहिए।
"लापरवाही" के आधार पर डेटा प्रसंसको की देयता भी सीमित होनी चाहिए क्योंकि वे केवल डेटा प्रत्ययी के निर्देशों पर कार्य करते हैं।
सहमति प्रबंधकों के लिए देयता संरचना स्थापित की जानी चाहिए।

2.3. शिकायत प्रबंधन प्रणाली

विधेयक डेटा प्रत्ययी को डेटा प्रधानों की शिकायतों का त्वरित तरीके से कुशलतापूर्वक निवारण करने के लिए एक प्रभावी शिकायत तंत्र स्थापित करने के लिए अनिवार्य करता है। इस संबंध में, विधेयक विवाद प्रबंधन के लिए डेटा सुरक्षा अधिकारी (महत्वपूर्ण डेटा प्रत्ययी के मामले में) या किसी नामित अधिकारी (डेटा प्रत्ययी के मामले में) को नियुक्त करने की मांग करता है।

एकाधिक शिकायत प्रबंधन का मुद्दा: वर्तमान में, संस्थाओं और उपभोक्ताओं के लिए नियामक/नीति निर्माताओं के पास अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए कई प्रकार के शिकायत निवारण पोर्टल हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र के नियामक का अपना लोकपाल होता है, आईटी अधिनियम के तहत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण है, और विधेयक में एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

चूंकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिकायत कई न्यायाधिकरणों और लोकपालों के साथ की जा सकेगी, वर्तमान का बेतरतीब शिकायत संचालन का तरीका अप्रचलित, भ्रमित करने वाला और कठिन हो सकता है। इससे अनिश्चितता भी पैदा होगी, जहां नियामक/नीति निर्माता किसी विशेष शिकायत के निवारण से इनकार कर सकते हैं, यह कहते हुए कि यह उनके दायरे में नहीं आता है।

हमारी सिफारिशें

हम एक चुस्त क्रमबद्ध शिकायत निवारण तंत्र का सुझाव देते हैं जो की क्षैतिज और श्रेणीबद्ध समन्वय (सिस्टम के विभिन्न तत्वों के बीच) स्थापित कर सके। उत्तरदायी विनियमन ढांचे से सीख लेते हुए, हम शिकायत प्रबंधन के लिए नीचे दिए गए चरणों का सुझाव देते हैं:

चरण 0: संवादात्मक आवाज प्रतिक्रिया (स्वचालित आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली) के माध्यम से विवाद दर्ज करने के लिए नामित पोर्टल की खोज

चरण 1: विवाद का निवारण स्वयं डेटा प्रत्ययियों, प्रसंसको, और सहमति प्रबंधकों द्वारा

चरण 2: ऑनलाइन विवाद समाधान (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सुगम मध्यस्थतावादी विवाद समाधान ढांचा) तक पहुंच

चरण 3: यदि चरण 2 विफल रहता है तो अपीलीय न्यायाधिकरण (विधेयक के तहत स्थापित) तक पहुंच

पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा देखे जाने वाले शीर्ष 10 थिंक टैंकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

21वीं सदी में तेजी से तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अनूठी समस्याओं को हल करने के लिए 'डायलॉग' भारत में सुसंगत सार्वजनिक नीति प्रवचन बनाता है। 'डायलॉग' का मिशन लोगों के लिए नीति लाना है और बाद में उन्हें उन मुद्दों से जोड़ना है जो आज की दुनिया में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सूचित जनमत और नागरिक भागीदारी के माध्यम से सुधारों को चलाने का दीर्घकालिक उद्देश्य है।

The Dialogue™

INFORM ENGAGE IDEATE

अधिक जानने के लिए
www.thedialogue.co पर जाएं,
या मेल करें info@thedialogue.co